

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 291/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय- 218, जौहरी बाजार, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मोहम्मद हनीफ पुत्र मोहम्मद सुलेमान,
पता:- प्लॉट नं. 3, भरत विहार कॉलोनी, माली की कोठी, बगराना, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्री भवानी सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 19.01.2017 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मोहम्मद हनीफ के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. डी-95, प्रीम वृन्दावन (अग्रसेन नगर), बगराना, तहसील एवं जिला जयपुर, क्षेत्रफल 216.67 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक कुल राशि 25,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि नय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 25,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 20,48,607.51/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

लाभ कराने से अधिक होने एवं 26 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिमित्रता के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्दक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिमित्रता की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्दक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र शिवांग का प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अर्थात् मोहम्मद हमीद के स्वामित्व की कब्र सैफ्ट प्लॉट नं. डी-96, प्रीम वृन्दावन (अप्रभो नगर), बगसरा, लक्ष्मीय एवं जिला जयपुर, पोस्टल 315001 वर्तमान का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरूरी सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपमहकुल जयपुर नगर/पुलिस अधीक्षक जयपुर शरीफ को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं सख्त रिपोर्ट भिजवाने हेतु सावन्ध करें। आदेश की प्रति हार्द कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दर्जित हो।

आदेश आज दिनांक 20.03.2023 को सारे इजलास सुनाया गया।



20
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलेक्टर) जयपुर